भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली

31 जुलाई, 2025 को शाम 4:30 बजे सीनेट रूम में ऑनलाइन माध्यम से आयोजित बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स की 122वीं बैठक के कार्यवृत्त

बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स की 122वीं बैठक 31 जुलाई, 2025 को शाम 4:30 बजे ऑनलाइन माध्यम से सीनेट रूम में आयोजित की गई।

उपस्थित:

1.	* एडवोकेट हरीश साल्वे	-अध्यक्ष
2.	प्रो. रंगन बनर्जी, निदेशक	-सदस्य
3.	* श्री सुमंत सिन्हा, रिन्यू पावर लिमिटेड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी	-सदस्य
4.	* प्रो. वी. के. तिवारी, पूर्व निदेशक, आई.आई.टी. खड़गपुर	-सदस्य
5.	प्रो. यू.पी. सिंह, उप निदेशक निदेशक, आई.आई.टी. रुड़की	-सदस्य
6.	प्रो. एम. आर. रवि, यांत्रिक इंजीनियरी विभाग	-सदस्य
7.	प्रो. ए.के. नेमा, सिविल इंजीनियरी विभाग एवं उप निदेशक (प्रचालन)	-सदस्य
8.	प्रो. अम्बुज सागर, उप निदेशक निदेशक (नीति एवं योजना)	-विशेष आमंत्रित
9.	प्रो. नारायणन डी. कुरुर, संकायाध्यक्ष (अकादमिक)	-विशेष आमंत्रित
10.	प्रो. विवेक वी. बुवा, संकायाध्यक्ष (योजना)	-विशेष आमंत्रित
11.	प्रो. सिद्धार्थ पांडे, संकायाध्यक्ष (संकाय)	-विशेष आमंत्रित
12.	श्री अतुल व्यास, कुलसचिव	-सचिव

* ऑनलाइन माध्यम से भाग लिया

सुश्री सौम्या गुप्ता, आई.ए.एस., संयुक्त सचिव (टी.ई.), शिक्षा मंत्रालय एवं श्री पांडुरंग पी. पोल, सचिव (टी.टी.ई.), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार बैठक में शामिल नहीं हो सके।

बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स के सचिव ने बैठक में अध्यक्ष और सभी सदस्यों का स्वागत किया। सचिव ने बोर्ड की बैठकों में बहुमूल्य योगदान देने के लिए निवर्तमान और विशेष आमंत्रित सदस्यों को धन्यवाद दिया और बोर्ड के नए और विशेष आमंत्रित सदस्यों का स्वागत किया। आने वाले/जाने वाले सदस्यों/विशेष आमंत्रित सदस्यों की सूची परिशिष्ट 'ए' में दी गई है। अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स ने सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया और बैठक की शुरुआत की।

मद सं. 1: 08. 05. 2025 को आयोजित बी.ओ.जी. की 221 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि करना।

बी.ओ.जी. की 221 वीं बैठक के कार्यवृत्त की, परिचालित किए गए अनुसार, पुष्टि की गई।

मद सं. 2: बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स की पिछली बैठक (कों) के निर्णयों पर की गई कार्रवाई विषयक रिपोर्ट प्राप्त करना।

बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स की पिछली बैठक (कों) के निर्णयों पर की गई कार्रवाई की वर्तमान स्थिति के बारे में बोर्ड को सूचित किया गया ।

(i) आर.पी.आर.-2022 के लागू होने के बाद स्टाफ सदस्यों के सभी अभ्यावेदनों पर विचार करने के लिए गठित समिति की अनुशंसाओं पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित करना।

बोर्ड को सूचित किया गया कि मामला लंबित है।

(ii) आई.आई.टी. दिल्ली झज्जर परिसर, हरियाणा के बाउंड्री वॉल और गार्ड रूम कार्यालय के निर्माण के लिए संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय मंजूरी।

झज्जर परिसर में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कच्चे लागत अनुमान पर विचार करना और मंजूरी देना।

बोर्ड को सूचित किया गया कि हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री ने आई.आई.टी.डी. को आबंटित भूमि वापस लेने के संस्थान के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। सरकारी पॉलिटेक्निक, झज्जर के प्रिंसिपल को राजस्व विभाग और संस्थान के साथ औपचारिकतायें पूरा करने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

(iii) सार्वजनिक डोमेन के लिए नहीं।

(iv) आर.के. पुरम भूमि पर आवासीय अपार्टमेंट के निर्माण के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय मंजूरी पर विचार करना और सहमत होना।

बोर्ड को सूचित किया गया कि विस्तृत अनुमान तीव्र प्रौद्योगिकी यानी समग्र इस्पात संरचना के आधार पर तैयार किया गया है। संस्थान ने स्थानीय निकाय और डी.एम.आर.सी. से वैधानिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है। डी.एम.आर.सी. ने भवन निर्माण प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मेट्रो सुरंग संस्थान द्वारा प्रस्तावित बिल्डिंग फुटप्रिंट के ठीक नीचे जा रही है। इसके अलावा, संस्थान ने डी.एम.आर.सी. के अधिकारियों के साथ साइट का दौरा किया, डी.एम.आर.सी. ने प्रस्तावित बिल्डिंग के नीचे जाने वाली सुरंग का विवरण प्रदान किया। संस्थान ने आपत्ति पर विचार करते हुए बिल्डिंग डिज़ाइन को संशोधित किया और संशोधित लेआउट को मंजूरी के लिए वैधानिक प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जा रहा है ।

(v) संस्थान की वेबसाइट पर बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स, सीनेट और अन्य वैधानिक समितियों की बैठक के कार्यवृत्त अपलोड करने के प्रस्ताव पर विचार और अनुमोदन करना।

बोर्ड को सूचित किया गया कि बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स के निर्णय के अनुसार URL https://home.iitd.ac.in/motm.php# पर एक वेब पोर्टल बनाया गया है और कार्यवृत्त पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं।

(vi) संकाय यात्रा अनुदान के प्रस्ताव पर विचार और अनुमोदन करना।

बोर्ड को सूचित किया गया कि संकाय यात्रा अनुदान के प्रावधान के बारे में सभी संकायों को सूचित कर दिया गया है। ऑनलाइन अनुप्रयोगों, अनुमोदन और लेखांकन उद्देश्यों के लिए एक ई.आर.पी. मॉड्यूल विकसित किया जा रहा है।

(vii) हितकारी निधि योजना में संशोधनों पर विचार और अनुमोदन करना।

बोर्ड को सूचित किया गया कि बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स के निर्णय को अधिसूचना संख्या IITD/ICDN/1/061/2025 (1)/414239 दिनांक 17.06.2025 द्वारा अधिसूचित किया गया है।

(viii) संस्थान की ओवरहेड नीति पर चर्चा और विचार करना।

बोर्ड को बताया गया कि इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(ix) बोर्ड को सूचित किया गया कि पॉकेट भत्ते, योग्यता-सह-साधन स्कॉलरशिप और वार्षिक पारिवारिक आय सीमा में संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करना ।

बोर्ड को सूचित किया गया कि बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स के निर्णय को अधिसूचना संख्या IITD/ICDN/1/061/2025 (1)/414236 दिनांक 17.06.2025 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है।

(x) विदेशी संकाय गृह यात्रा योजना पर विचार और अनुमोदन करना।

बोर्ड को सूचित किया गया कि बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स के निर्णय को अधिसूचना संख्या IITD/ICDN/1/061/2025 (1)/414232 दिनांक 17.06.2025 द्वारा अधिसूचित किया गया है।

(xi) 'सिविल इंजीनियरी विभाग' का नाम 'सिविल और पर्यावरण इंजीनियरी विभाग' में बदलने के प्रस्ताव पर विचार करना ।

बोर्ड को सूचित किया गया कि बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स के अनुमोदन के बाद, संस्थान के संविधि के खंड 19 (डी) में संशोधन के लिए शिक्षा मंत्रालय को एक पत्र सं. IITD/AREG/2025/413118 तारीख 13.06.2025 भेजा गया था। पत्र F. No. 2-2/2025-ts-I दिनांक 28.07.2025 द्वारा शिक्षा मंत्रालय ने माननीय राष्ट्रपति (संस्थान के कुलाध्यक्ष) की मंजूरी से अवगत कराया ।

(xii) आर.पी.आर.-2022 के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारियों की संशोधित संख्या वितरण पर विचार करना।

बोर्ड को सूचित किया गया कि बी.ओ.जी. द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, प्रस्ताव सूचना के लिए शिक्षा मंत्रालय को भेजा गया था। (पत्र सं. IITD/AREG/2025/412918 तारीख 12.06.2025 देखें)। बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स के निर्णय को संख्या IITD /ICDN/1/061/2025(1)/417822 दिनांक 30.06.2025 द्वारा अधिसूचित किया गया है।

(xiii) वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के बराबर लाभ देने पर विचार करना ।

बोर्ड को सूचित किया गया कि इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(xiv) शैक्षणिक इकाइयों की व्यापक समीक्षा और अवलोकन प्रक्रिया के बारे में सूचित करना ।

बोर्ड को सूचित किया गया कि समीक्षा प्रक्रिया चल रही है। यह भी बताया गया कि आई.आई.टी दिल्ली के लिए विज़न 2035 पर चर्चा करने के लिए एक शुरुआती ग्रुप बनाया गया है।

(xv) विद्यार्थी त्रासदियों के संदर्भ में परिसर माहौल का अध्ययन करने और संस्थान की कार्य योजना को सूचित करने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

बोर्ड को सूचित किया गया कि विद्यार्थी त्रासदियों के संदर्भ में परिसर में पर्यावरण का अध्ययन करने और संस्थान की कार्य योजना को सूचित करने के लिए गठित बाहरी समिति की रिपोर्ट को देखने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

संकायाध्यक्ष , शैक्षणिक ने बोर्ड को नए विद्यार्थियों के लिए आयोजित किए गए एक सप्ताह के इंडक्शन कार्यक्रम के बारे में अवगत कराया। अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि विद्यार्थियों के साथ संकाय सदस्यों को नियमित रूप से बातचीत करने का एक तरीका खोजा जाना चाहिए। उन्होंने स्टाफ की एक पोस्ट बनाने का भी सुझाव दिया, जो विद्यार्थियों के साथ अनौपचारिक, नियमित और दोस्ताना तरीके से बातचीत कर सके ताकि उन्हें घर जैसा महसूस हो।

(xvi) अनुशासनात्मक मामलों की स्थिति प्रस्तुत बताना।

कार्यवृत्त मद सं. 8 (xvii) में देखे जा सकते हैं।

(xvii) अंशकालिक आधार पर विदेशी संकाय की नियुक्ति पर विचार करना और उसे मंज़ूरी देना।

बोर्ड को सूचित किया गया कि इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

मद सं.3: 08.05.2025 को आयोजित बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स की बैठक के बाद से संस्थान की प्रमुख गतिविधियों/प्रगति या उपलब्धियों पर निदेशक की रिपोर्ट प्राप्त करना।

निदेशक ने 08.05.2025 को आयोजित बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स की पिछली बैठक के बाद से संस्थान की गतिविधियों की एक प्रगति रिपोर्ट और झलक प्रस्तुत की (परिशिष्ट 1)। बोर्ड ने संस्थान की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

मद सं.4: अनुमोदन के लिएः

(i)   सत्र 2024-2025 के दौरान संस्थान की विभिन्न परीक्षाओं में उत्तीर्ण सफल उम्मीदवारों को डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करना; और

(ii)   पदक/पुरस्कार/प्रमाण पत्र आदि का प्रदान करना।

प्रो. नारायणन डी कुरूर, संकायाध्यक्ष (शैक्षणिक) ने 2024-2025 सत्र के दौरान संस्थान की विभिन्न परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले सफल उम्मीदवारों को डिग्री, डिप्लोमा आदि प्रदान करने का स्टेटस बताया। 30 जुलाई, 2025 तक विभिन्न पी.जी. और यू.जी. कार्यक्रमों में स्नातक विद्यार्थियों की संख्या प्रस्तुत की गई। सीनेट द्वारा अनुशंसित विभिन्न पदक, पुरस्कार, प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए विद्यार्थियों की सूची (एजेंडा नोट के अनुसार) भी बोर्ड को प्रस्तुत की गई।

बोर्ड ने विभिन्न कार्यक्रमों में स्नातक करने वाले विद्यार्थियों की सूची देखी। बोर्ड ने यह भी कहा कि पदक, पुरस्कार, प्रमाण पत्र आदि प्रदान करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है।

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद बोर्ड ने सीनेट की अनुशंसाओं को अनुमोदित किया। बोर्ड ने सीनेट के अध्यक्ष, को यह भी अधिकार दिया कि वे आवश्यक संशोधन करें और बोर्ड की ओर से ऐसे अन्य अभ्यर्थियों के नामों, यदि कोई हों, को भी स्वीकृत करें, जो दीक्षांत समारोह की तिथि से पूर्व डिग्री, डिप्लोमा, पदक, पुरस्कार आदि प्रदान किए जाने हेतु निर्धारित आवश्यकताओं को पूर्ण कर पात्र हो जाएँ।

संकल्प सं. BG/38/2025:	निर्णय लिया गया कि: सीनेट की अनुशंसाओं के अनुसार (234 वीं बैठक, दिनांक 30 जुलाई, 2025) एजेंडा नोट में सूचीबद्ध विद्यार्थियों के नामों को, जैसा भी मामला हो, 2 अगस्त, 2025 को आयोजित होने वाले 56वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में, डिग्री, डिप्लोमा, पदक, पुरस्कार आदि प्रदान करने के लिए मंजूरी दी जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि बोर्ड, सीनेट के अध्यक्ष को आवश्यक संशोधन करने और बोर्ड की ओर से ऐसे अन्य अभ्यर्थियों के नामों, यदि कोई हों, जो दीक्षांत समारोह की तिथि से पूर्व डिग्री, डिप्लोमा, पदक, पुरस्कार आदि प्रदान किए जाने

	हेतु निर्धारित आवश्यकताओं को पूर्ण कर पात्र हो जाएँ, को भी स्वीकृत करने हेतु प्राधिकृत किया जाए।

मद सं.5: अद्यतित पीएच.डी. अध्यादेशों के बारे में सीनेट की अनुशंसाओं पर विचार करना।

बोर्ड को अवगत कराया गया कि संस्थान के पिछले पीएच.डी. अध्यादेशों को बहुत पहले अद्यतन किया गया था। तब से, सीनेट की कई बैठकें आयोजित की गई हैं जहां पीएच.डी. कार्यक्रमों की संरचना और शासन को प्रभावित करने वाले निर्णय लिए गए थे। इन निर्णयों को प्रतिबिंबित करने के लिए, पीएच.डी. अध्यादेशों को मई, 2025 के अंत तक हुई सीनेट बैठकों तक अद्यतन किया गया है। अद्यतित पीएच.डी. अध्यादेशों को टिप्पणियों/प्रतिक्रिया के लिए सभी सीनेट सदस्यों और सभी संकाय सदस्यों को भेजा गया था। प्राप्त टिप्पणियों को शामिल किया गया इसके अनुसार, सीनेट ने 10 जुलाई, 2025 को आयोजित अपनी विशेष बैठक में अद्यतित पीएच.डी. अध्यादेशों को बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स के समक्ष रखने की अनुशंसा की। चर्चा के बाद सीनेट की अनुशंसाओं को मंजूरी दे दी गई।

संकल्प सं. BG/39/2025:	निर्णय लिया गया कि: अद्यतित पीएच.डी. अध्यादेशों के बारे में सीनेट की अनुशंसाओं को मंज़ूरी दी जाए (परिशिष्ट 2) ।

मद सं.6: प्रबंधन अध्ययन विभाग (डी.एम.एस.) को वार्षिक बजट आवंटन के लिए उपयोग की जाने वाली नीति के संशोधन पर विचार करना।

बोर्ड को अवगत कराया गया कि 23 मई, 2013 को आयोजित बी.ओ.जी. की 183वीं बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि प्रबंधन कार्यक्रमों (जैसे एम.बी.ए., कार्यकारी एम.बी.ए., पीएच.डी. आदि) के माध्यम से उत्पन्न शुल्क का 50% डी.एम.एस. को प्रदान किया जाएगा (संकल्प संख्या बी.जी./14/2013) । ये निधि एम.बी.ए. और पीएच.डी. प्रवेश, कर्मचारियों के वेतन, अतिथि संकाय को भुगतान और विद्यार्थियों के लिए वैश्विक क्षेत्र दौरे, छात्रवृत्ति, प्रत्यायन (एक्रेडिटेशन), कार्यालय अवसंरचना, सॉफ्टवेयर और सीखने के संसाधन, कॉर्पोरेट संबंध, प्लेसमेंट और आउटरीच गतिविधियों आदि के लिए प्रदान की गई हैं ।

यह भी बताया गया कि डी.एम.एस. को छोड़कर सभी शैक्षणिक इकाइयों को वार्षिक बजट देने के लिए, एक बजट आवंटन पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमे शिक्षण गतिविधियों, संकाय और विद्यार्थियों की संख्या, अनुसंधान प्रकाशनों, पेटेंट और बाहरी अनुसंधान और विकास अनुदान, आदि जैसे प्रमुख निष्पादन मापदंडों को ध्यान में रखा जाता है।

शैक्षणिक इकाइयों के भीतर बजट आवंटन प्रक्रिया में समानता बनाए रखने के लिए और शुल्क के कुछ हिस्से के बजाय वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर बजट प्रदान करने के लिए; इस मामले पर डी.एम.एस. के साथ विचार-विमर्श किया गया और इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि डी.एम.एस. अपने संकाय बोर्ड द्वारा विधिवत चर्चा और मंज़ूरी लेकर, निदेशक की अध्यक्षता वाली “संस्थान बजट आबंटन और निगरानी समिति” को वार्षिक बजट की आवश्यकता

प्रस्तुत करेंगे। चूंकि डी.एम.एस. द्वारा पेश किए गए शैक्षणिक कार्यक्रमों की प्रकृति और आवश्यकताएं और विद्यार्थियों द्वारा भुगतान की गई संबंधित फीस अलग-अलग हैं, इसलिए यह सहमति हुई कि अन्य शैक्षणिक इकाइयों के लिए उपयोग की जाने वाली बजट आवंटन पद्धति का उपयोग डी.एम.एस. को बजट आवंटन निर्धारित करने के लिए नहीं किया जाएगा। इसके बजाय, उस वर्ष धन की उपलब्धता, विभाग की वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर एक उचित बजट आवंटित किया जाएगा जो अकादमिक कार्यक्रमों के लिए उचित और आवश्यक हैं ।

तदनुसार, संस्थान की विभिन्न शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक इकाई में बजट आवंटन प्रक्रिया में समानता सुनिश्चित करने और आवंटित धन के उपयोग में पारदर्शिता लाने के लिए, बोर्ड के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया था कि डी.एम.एस. के विद्यार्थियों द्वारा भुगतान किए गए 50% शुल्क को साझा करने की वर्तमान नीति को समाप्त कर दिया जाए और डी.एम.एस. को एक उपयुक्त वार्षिक बजट 'संस्थान बजट आवंटन और निगरानी समिति' द्वारा अनुमोदित किया जाए। चर्चा के बाद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

संकल्प सं. BG/40/2025:	निर्णय लिया गया कि: प्रबंधन अध्ययन विभाग (डी.एम.एस.) को वार्षिक बजट आवंटन के लिए उपयोग की जाने वाली नीति के संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाए।

मद सं.7:   बोर्ड को वर्तमान संकाय पदों (श्रेणीवार) के बारे में अवगत कराना।

बोर्ड ने 30.06.2025 तक संस्थान की वर्तमान संकाय स्थिति (श्रेणी वार) को नोट किया।

मद सं.8:   सार्वजनिक डोमेन के लिए नहीं।

मद सं.9:   सार्वजनिक डोमेन के लिए नहीं।

मद सं. 10: बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स की ओर से लिए गए निर्णयों की अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स, आई.आई.टी. दिल्ली द्वारा पुष्टि करना।

बोर्ड ने अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स द्वारा दी गई मंजूरी की पुष्टि की, जिसका विवरण नीचे दिया गया हैः

क.   शैक्षणिक /गैर-शैक्षणिक स्टाफ सदस्यों की नियुक्तियों में पुष्टि।

क्र.सं.	नाम, पदनाम और विभाग/केंद्र	नियुक्ति की तारीख	परिवीक्षा अवधि	पुष्टि की तारीख
1.	प्रो. आकाश अरोड़ा, सहायक प्रोफ़ेसर ग्रेड-I, अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक अनुसन्धान केन्द्र	02.07.2024	एक वर्ष	02.07.2025
2.	प्रो. राजेंद्र कुमार, सहायक प्रोफ़ेसर ग्रेड-I, कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरी	11.06.2024	एक वर्ष	11.06.2025
3.	डॉ. अजय गुलेरिया, वरिष्ठ सिस्टम मैनेजर (एस.जी.), कंप्यूटर सेवा केन्द्र	24.06.2024	एक वर्ष	25.06.2025

4.	श्री गौरव मुंजाल, सिस्टम मैनेजर, कंप्यूटर सेवा केन्द्र	24.06.2024 (अपराह्न)	एक वर्ष	25.06.2025 (अपराह्न)
5.	श्री मनीष अग्रवाल, सिस्टम मैनेजर, कंप्यूटर सेवा केन्द्र	24.06.2024 (अपराह्न)	एक वर्ष	25.06.2025 (अपराह्न)
6.	श्री सुदीप नारायण बनर्जी, सिस्टम आर्किटेक्ट, कंप्यूटर सेवा केन्द्र	19.06.2024 (अपराह्न)	एक वर्ष	20.06.2025 (अपराह्न)
7.	श्री संभव जैन, सिस्टम आर्किटेक्ट, कंप्यूटर सेवा केन्द्र	19.06.2024 (अपराह्न)	एक वर्ष	20.06.2025 (अपराह्न)
8.	प्रो. रौनक पुष्पक भट्टाचार्य, सहायक प्रोफ़ेसर, ग्रेड-I ScAI	09.07.2024	एक वर्ष	09.07.2025
9.	प्रो. जयंत भट्टाचार्य, सह प्रोफ़ेसर, जैव चिकित्सा इंजीनियरी केन्द्र	07.12.2023	एक वर्ष	08.06.2025* वह 16.05.2024 से 15.11.2024 तक सबैटिकल अवकाश पर थे।
10.	श्री अमरीश कुमार शर्मा, सिस्टम आर्किटेक्ट, कंप्यूटर सेवा केन्द्र	06.08.2024	एक वर्ष	06.08.2025
11.	प्रो. अंबर श्रीवास्तव, सहायक प्रोफ़ेसर (ग्रेड-I), यांत्रिक इंजीनियरी विभाग	10.08.2024	एक वर्ष	10.08.2025

ख. संस्थान में विभिन्न पदों की चयन समितियों/स्थायी समिति/पुरस्कार समिति के कार्यवृत्त।

क्र.सं.	पदनाम	चयनित उम्मीदवार का नाम	विभाग/केंद्र	बैठक की तिथि
(ए)	चयन समिति			
1.	सह प्रोफ़ेसर	I. प्रो. संगीता सांत्रा II. प्रो. शिब शंकर बनर्जी III. प्रो. दिव्या नायर IV. प्रो. अंकुर गोस्वामी	डी.एम.एस.ई.	26.06.2025
2.	सह प्रोफ़ेसर	प्रो. दीपक जैन	ओ.पी.सी.	30.06.2025
3.	प्रोफ़ेसर	प्रो. मो. वज़ीद अली	वस्त्र एवं रेशा इंजीनियरी	30.06.2025
4.	सह प्रोफ़ेसर	प्रो अनंत कुमार माँजी	गणित	10.06.2025
5.	प्रोफ़ेसर	I. प्रो. मनन सूरी II. प्रो. आनंदरूप दास	विद्युत इंजीनियरी	06.06.2025

6.	सह प्रोफ़ेसर	प्रो. संदीप कुमार	विद्युत इंजीनियरी	06.06.2025
7.	सह प्रोफ़ेसर	प्रो. विश्वरूप मुखर्जी	सी.बी.एम.ई.	09.06.2025
8.	प्रोफ़ेसर	प्रो. अमित मेहंदीरत्ता	सी.बी.एम.ई.	09.06.2025
9.	सह प्रोफ़ेसर	I. प्रो. तारक कर्माकर II. प्रो. सजेश पी. थॉमस	रासायन विज्ञान	09.06.2025
10.	प्रोफ़ेसर	प्रो. संजय धीर	डी.एम.एस.	12.06.2025
11.	सह प्रोफ़ेसर	प्रो. सौविक चक्रवर्ती	अनुप्रुक्त यांत्रिक	13.06.2025
12.	सहायक प्रोफ़ेसर	I. प्रो. रोहित मलिक II. प्रो. अरजक भट्टाचार्य	डी.एम.एस.ई	03.06.2025
13.	प्रोफ़ेसर	I. प्रो. विक्रांत तिवारी II. प्रो. अर्घ्य सामंत	अनुप्रुक्त यांत्रिक	13.06.2025
14.	सह प्रोफ़ेसर	I. प्रो. बिस्वजिता परिदा II. प्रो. गौरव द्विवेदी	डी.एम.एस.	12.06.2025
15.	सह प्रोफ़ेसर	प्रो. राजर्षि दासगुप्ता	पब्लिक पॉलिसी स्कूल	10.06.2025
16.	सहायक प्रोफ़ेसर	प्रो. भास्कर प्रतिम मुखोटी	वाई.एस.सी.ए.आई.	10.06.2025
17.	प्रोफ़ेसर	प्रो. अभिजीत राज	रासायनिक	11.06.2025
18.	सहायक प्रोफ़ेसर	प्रो. सुमंत नानी एनुगल	डी.एम.एस.ई	03.06.2025
19.	प्रोफ़ेसर	प्रो. सायन रानू	कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरी	13.06.2025
20.	सह प्रोफ़ेसर	प्रो. रिजुरेखा सेन	कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरी	13.06.2025
21.	सहायक प्रोफ़ेसर	प्रो. विक्रांत सक्सेना	भौतिकी	12.06.2025
22.	प्रोफ़ेसर	I. प्रो. शाश्वत भट्टाचार्य II. प्रो. सुनील कुमार	भौतिकी	12.06.2025
23.	सहायक प्रोफ़ेसर	I. प्रो. विजय केसवानी II. प्रो. पीयूष कुमार	कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरी	04.06.2025
24.	सह प्रोफ़ेसर	प्रो. उत्कर्ष मल्ल	कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरी	04.06.2025
25.	सहायक प्रोफ़ेसर	I. प्रो. उमाकांत साहू II. प्रो. औहिन कुमार मापारु III. प्रो. गरिमा रानी	डी.बी.ई.बी.	22.05.2025

26.	सह प्रोफ़ेसर	I. प्रो. अमित नैन I. प्रो. अमित कुमार गौरव III. प्रो. ज्योतिर्मय बेहरा	के.एस.बी.एस.	23.05.2025
27.	सहायक प्रोफ़ेसर	प्रो. विवेक मिश्रा	डी.एम.एस.	20.05.2025
28.	प्रोफ़ेसर	प्रो. हरि प्रसाद पी.	सी.आर.डी.टी.	27.06.2025
29.	सह प्रोफ़ेसर	NFS	यांत्रिक इंजी.	26.06.2025
30.	प्रोफ़ेसर	प्रो. सुप्रीत सिंह बाघा प्रो. देवेंद्र दुबे	यांत्रिक इंजी.	26.06.2025
31.	सह प्रोफ़ेसर	प्रो. सुप्रतीक गुप्ता	सिविल	27.06.2025
32.	सहायक प्रोफ़ेसर	प्रो. गोकुलनाथ थंडावरायण	सी.आर.डी.टी.	21.05.2025
33.	प्रोफ़ेसर	प्रो. लीना नेभानी प्रो. सम्पा साह	डी.एम.एस.ई.	24.06.2025
34.	सह प्रोफ़ेसर	प्रो. पूजा घोष	सी.आर.डी.टी.	27.06.2025
35.	उप निदेशक (प्रचाल	प्रो. अरविंद के. नेमा	सिविल	05.07.2025 और 19.07.2025
36.	सहायक प्रोफ़ेसर	प्रो. ओम प्रकाश	रासायनिक	17.07.2025
37.	सहायक प्रोफ़ेसर	प्रो. प्रशांत प्रभाकरन	वायुमंडलीय विज्ञान केन्द्र	17.07.2025
बी.	स्थायी समिति			
1.	विज़िटिंग फैकल्टी	प्रो. अमिताभ त्रेहान	कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरी	04.07.2025
2.	विज़िटिंग फैकल्टी	प्रो. अमित कुमार	डी.एम.एस.	02.07.2025
3.	प्रोफ़ेसर ऑफ़ प्रैक्टिस (पी.ओ.पी.)	प्रो. अशोक कुमार भटेजा	ए.एन.एस.के.एस.आई.टी.	21.07.2025
4.	विज़िटिंग फैकल्टी	डॉ. अमित कुमार शुक्ला	डी.एम.एस.	02.07.2025

ग. अनुसमर्थन के लिए विविध मामले।

(i) निदेशक की आई.आई.टी.डी. अबू धाबी के आधिकारिक यात्रा के अनुमोदन के लिए अनुरोध। (सी.बी.जी.-137)

(ii) कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी विभाग में सहायक प्रोफ़ेसर ग्रेड-I के पद के लिए चयनित डॉ. सुमना घोष के कार्यभार ग्रहण समय में विस्तार। (सी.बी.जी.-138)

(iii) श्री भूपेन्द्र सिंह, प्रमुख तकनीकी अधिकारी का दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) से अतिरिक्त निदेशक (वैज्ञानिक-E) के पद हेतु प्राप्त प्रस्ताव पत्र के संदर्भ में प्रतिनियुक्ति (deputation) के आधार पर मुक्त किए जाने के संबंध में अनुरोध। (सी.बी.जी.-136)

(iv) बी.ओ.जी. द्वारा अनुमोदित सीनेट मामलों पर अध्यक्ष, बी.ओ.जी. का अनुमोदन। (सी.बी.जी.-81)

(v) प्रो. मो. रुश्दी इब्ने इस्लाम, अनुप्रयुक्त यांत्रिकी विभाग, सहायक प्रोफ़ेसर ग्रेड-I द्वारा दिए गए इस्तीफ़े की 13. 06. 2025 (अपराह्न) से स्वीकृति। (सी.बी.जी.-80)

(vi) आई.आई.टी.डी. अबू धाबी में निदेशक की आधिकारिक यात्रा के अनुमोदन का अनुरोध। (सी.बी.जी.-82)

(vii) 2 अगस्त, 2025 को आई.आई.टी. दिल्ली के 56वें दीक्षांत समारोह में प्रतिष्ठित अल्युमनी पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समिति का गठन। (सी.बी.जी.-89)

(viii) चिकित्सा आधार पर 07.06.2025 तक कार्यभार ग्रहण समय बढ़ाने के संबंध में श्री देबोद्युति बंद्योपाध्याय का अनुरोध। (सी.बी.जी.-93)

(ix) केवल अनुसंधान प्रयोजनों के लिए आवश्यक वैज्ञानिक उपकरणों और उपभोग्य सामग्रियों की गैर- GeM खरीद की मौद्रिक सीमा में संशोधन -के बारे में। (सी.बी.जी.-104)

(x) सुरक्षा निरीक्षक पद के लिए कार्यभार ग्रहण तिथि में विस्तार। (सी.बी.जी.-107)

(xi) समूह 'ए' अधिकारियों की सेवा की पुष्टि के बारे में। (सी.बी.जी.-108)

(xii) वर्ष 2025 के लिए आई.आई.टी. दिल्ली के प्रतिष्ठित अल्युमनी पुरस्कार, प्रतिष्ठित अल्युमनी सेवा पुरस्कार और पिछले दशक के स्नातकों की पुरस्कार समिति बैठक के कार्यवृत्त। (सी.बी.जी.-124)

(xiii) प्रमाणन ऑडिट शुरू करने के लिए महानिदेशक लेखा परीक्षा (केंद्रीय व्यय), नई दिल्ली को आगे प्रस्तुत करने हेतु वर्ष 2024-25 के वार्षिक खाते की मंजूरी। (सी.बी.जी.-106)

(xiv) 01.01.2025 से प्रभावी संशोधित दरों पर पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों को महंगाई राहत प्रदान करना।

(xv) उप निदेशक (प्रचालन) की नियुक्ति के लिए चयन समिति का गठन। (सी.बी.जी.-90)

(xvi) आई.आई.टी. दिल्ली पुरस्कारों में प्रभावशाली महिलाओं के लिए चयन समिति के कार्यवृत्त। (सी.बी.जी.-95)

(xvii) 7वें सी.पी.सी. के अनुसार वेतन मैट्रिक्स लेवल 14 में संस्थान अभियंता के 1 पद के लिए 16.07.2025 को आयोजित चयन समिति के कार्यवृत्त जिसका विज्ञापन दिनांक 2 अप्रैल, 2025 को विज्ञापन सं. ई-II/07/2025 (प्रतिनियुक्ति) के माध्यम से प्रतिनियुक्ति आधार पर किया गया था। (सी.बी.जी.-139)

(xviii)सातवें सी.पी.सी. के अनुसार वेतन मैट्रिक्स लेवल 10 में सहायक कार्यकारी अभियंता (विद्युत) के 2 पदों (अनारक्षित) के लिए 22.07.2025 को आयोजित चयन समिति की बैठक के कार्यवृत्त, जिसका विज्ञापन नंबर मिशन मोड (डी.आर.) (3)/2023, दिनांक 17.02.2023 था। (सी.बी.जी.-146)

(xix) सातवें सी.पी.सी. के अनुसार वेतन मैट्रिक्स लेवल 10 में सहायक कार्यकारी अभियंता (सिविल) के पी.डब्ल्यू.डी. एच.आई. (डी., एच.एच.) के लिए आरक्षित 01 पद सहित 2 पदों (अनारक्षित) के लिए 18.07.2025 को आयोजित चयन समिति की बैठक, जिसका विज्ञापन नंबर मिशन मोड (डी.आर.) (3)/2023, दिनांक 17.02.2023 था। (सी.बी.जी.-146)

(xx) सातवें सी.पी.सी. के अनुसार वेतन मैट्रिक्स लेवल 10 में हिंदी अधिकारी के 01 पद (अनारक्षित) के लिए 23.07.2025 को आयोजित चयन समिति की बैठक के कार्यवृत्त, जिसका विज्ञापन नंबर मिशन मोड (डी.आर.) (1)/2023, दिनांक 02.02.2023 था। (सी.बी.जी.-148)

मद सं. 11: बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स की जानकारी के लिए कुछ मामलों की रिपोर्ट करना।

बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स द्वारा निम्नलिखित बैठकों के कार्यवृत्त को नोट किया गया;

सीनेट के कार्यवृत्त

26. 03. 2025 को आयोजित 232वीं बैठक का कार्यवृत्त

09.04.2025 को आयोजित विशेष बैठक का कार्यवृत्त

23.04.2025 को आयोजित विशेष बैठक का कार्यवृत्त

09.05.2025 को आयोजित विशेष बैठक का कार्यवृत्त

मद सं. 12: आई.आई.टी. दिल्ली और सोरबोन विश्वविद्यालय, पेरिस, फ्रांस के बीच संयुक्त डिग्री कार्यक्रमों के प्रस्ताव पर विचार करना।

आई.आई.टी. दिल्ली और सोरबोन विश्वविद्यालय, पेरिस, फ्रांस के बीच संयुक्त डिग्री कार्यक्रमों का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बोर्ड ने कहा कि इस प्रस्ताव की अनुशंसा सीनेट ने 30 जुलाई, 2025 को आयोजित अपनी 234 वीं बैठक में की थी।

बोर्ड ने प्रस्ताव (परिशिष्ट 3) पर विस्तार से चर्चा की और निम्नलिखित समाधान कियाः

संकल्प सं. बी.जी./43/2025:	निर्णय लिया गया कि: आई.आई.टी. दिल्ली और सोरबोन विश्वविद्यालय, पेरिस, फ्रांस के बीच संयुक्त डिग्री कार्यक्रमों के प्रस्ताव के संबंध में सीनेट की अनुशंसा को मंज़ूरी दी जाए।